मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 6–24/सात/2005/शा.3 भोपाल दिनांक 11 मार्च 2006

प्रति,

समस्त संभागायुक्त
मध्यप्रदेश
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय :– **राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 में संशोधन।**

कृपया राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 का अवलोकन करे। राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के तारतम्य में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 के निम्नलिखित प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थातः–

1. " राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 की कंडिका–9 विलोपित की जाती है।"

2. परिपत्र के परिशिष्ट–1 के पद (तीन) नष्ट हुये मकानों के लिये आर्थिक अनुदान सहायता का उपपद (3) विलोपित किया जाता है।

स्पष्टीकरण– उपर्युक्त संशोधन के तारतम्य में स्पष्ट किया जाता है कि नष्ट हुये मकानों के लिये आर्थिक अनुदान सहायता के आंकलन के लिये मामलों को दो वर्गो अर्थात् (1) पूर्ण नष्ट मकान तथा (2) 'क' अंशतः क्षतिग्रस्त (पक्का मकान), (2) 'ख' अंशतः क्षतिग्रस्त (कच्चा मकान) में रखते हुये निराकरण किया जाए।

परिपत्र के परिशिष्ट–1 के पद (तीन) नष्ट हुये मकानों के लिये आर्थिक अनुदान सहायता के मामलों के आंकलन के लिये पद (तीन) के अंत में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जोड़ा जाता है अर्थातः–

स्पष्टीकरण– एक ही बड़े मकान में एक से अधिक परिवार निवास करते हैं तथा ऐसे परिवारों के मुखिया के पास पृथक राशन कार्ड हैं तथा वह बड़े मकान में अपने अंश के मकान का स्वयं (पृथक) रख रखाव भी करता रहा है और मकान में अपने अंश के लिये ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय देय कर/ उपकर आदि का पृथक से भुगतान भी करता है तो बड़े मकान के ऐसे अंश को पृथक इकाई मानते हुये वास्तविक क्षति का आंकलन कर निर्धारित मानदण्ड अनुसार सहायता राशि वितरण की कार्यवाही की जाए। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सहायता राशि केवल आवासीय मकान के लिये देय होगी, पशुघर या बाड़ी अथवा अन्य किसी निर्माण के लिये नहीं।"

4. परिपत्र के परिशिष्ट–1 के पद (तीन) नष्ट हुये मकानों के लिये आर्थिक अनुदान सहायता के उप पद (1) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात :–

(1) पूर्ण नष्ट मकानः–

मकान पूर्णतः नष्ट हो जाने पर वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 18,000/– (रूपये अठारह हजार) तथा भूमिहीन मजदूर के लिये अधिकतम रूपये 20,000/– (रूपये बीस हजार) अनुदान सहायता राशि देय होगी।''

5. परिपत्र के परिशिष्ट–1 के पद (एक) फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता के मानदण्ड निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाते है :–

क्र.	खातेदार की कुल भूमि के आधर पर कृषक की श्रेणी	25 प्रतिशित से अधिक किंतु 50 प्रतिशत से कम फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि की दर	50 प्रतिशित से अधिक किंतु 75 प्रतिशत से कम फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि की दर	75 प्रतिशित या उससे अधिक फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि की दर
1	2	3	4	5
1.	असिंचित 4 हेक्टर तक कृषि भूमि धारित करने वाले खातेदार	रूपये 1,500/– प्रति हेक्टर	रूपये 3000/– प्रति हेक्टर	रूपये 3000/– प्रति हेक्टर
2.	असिंचित 4 हेक्टर किंतु10 हेक्टेयर से कृषि भूमि धारित करने वाले खातेदार	कुछ नहीं	रूपये 1250/– प्रति हेक्टर	रूपये 2500/– प्रति हेक्टर परंतु देय राशि रू. 20,000/– से अधिक नहीं होगी.
3.	असिंचित 10 हेक्टर से अधिक कृषि भूमि धारित करने वाले खातेदार	कुछ नहीं	कुछ नहीं	रूपये 1250/– प्रति हेक्टर परंतु देय राशि रू0 20,000/ से अधिक नहीं होगी.

इसी प्रकार परिशिष्ट–1 के पद (एक) फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता के नोट (4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

(4) फसल हानि के अन्तर्गत पान के बरेजे, सब्जी व फलों के बाग, खरबूजे, तरबूजे आदि की खेती ओर बाग भी शामिल होगें, चाहे वे सामान्य खेतों में हो या नदी किनारे हो, अर्थात सभी प्रकार की उगाई जाने वाली फसलें इनमें सम्मिलित मानी जायेगी। इसके साथ–साथ फलदार पेड़ चाहे वे किसी ग्रामीण के हों अथवा खातेदार के हों, पेड़ों पर लगी फसल नष्ट होने पर, रूपये 250–00 (रूपये दो सो पचास) प्रति पेड़ की दर से

अनुदान सहायता दी जावेगी, परन्तु अधिकतम देय सहायता राशि रूपये 20,000–00 (रूपये बीस हजार) होगी।

आम, संतरा, नीबू के बगीचों को देय अधिकतम अनुदान सहायता राशि रूपये 20,000–00 (रूपये बीस हजार) होगी।

पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलों को नुकसान होने पर प्रति वृक्ष के बजाय रूपये 5,000/– (रूपये पॉच हजार) प्रति हेक्टर की दर से अनुदान सहायता दी जावेगी परन्तु अधिकतम अनुदान सहायता राशि रूपये 20,000/– (बीस हजार) होगी।

7. परिपत्र के परिशिष्ट–1 के पद (पॉच) मृत व्यक्ति के परिवार/निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जता है अर्थात :–

" (पॉच) मृत व्यक्ति के परिवार/निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदानः–

नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात तूफान, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग (खलिहान या मकान में आग लगने की दुर्घटना को सम्मिलित करते हुये) के कारण, सर्प या गुहेरा के काटने से अथवा नाव दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों की मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस को रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) की सहायता दी जायेगी। इसके लिये मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर मृत्यु होने एवं उसके कारणों की जॉच की जायेगी और जहॉ संभव हो डाक्टर से मृतक का परीक्षण भी कराया जायेगा। मृत्यु होना पाये जाने पर मृतक के परिवार के सदस्य/निकटतम वारिस को उक्त धनराशि की अनुदान सहायता कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जायेगी। "मृत व्यक्ति" में बच्चा भी शामिल समझा जायेगा। परिवार में एक से अधिक मृत्यु होने पर वारिस को सहायता अनुदान प्रत्येक मृतक के मान से देय होगा।

8. परिपत्र के परिशिष्ट–1 के पद (पॉच–क) विलोपित किया जाता है।

9. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 में किये गये उक्त संशोधन दिनांक 01 मार्च 2006 से प्रभावी होगें।

10. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 के अन्य प्रावधान यथावत् रहेगें।

11. इस परिपत्र को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 का भाग समझा जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशनुसार

हस्ता–डा. पुखराज मारू

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ.क्र.एफ.6–24/सात/2005/शा.3 भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2006

प्रतिलिपि :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग
3. सचिव, माननीय मुख्य मंत्रीजी मध्यप्रदेश
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर
5. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश ग्वालियर
6. निज सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश
7. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, राजस्व विभाग मध्यप्रदेश
1. अपर सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव
2. संयुक्त संचालक, जन सम्पर्क मंत्रालय मध्यप्रदेश

हस्ता– नरेश पाल
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

(राजस्प पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक4)

(संशोधित दिनांक 1 जुलाई 2002)

विषय :– प्राकृतिक प्रकोपों से हुई फसल क्षति, मकान क्षति, जनहानि, पशु हानि एवं अन्य क्षतियों के लिये आर्थिक सहायता।

प्राकृतिक प्रकोपों जैसे अतिवृष्टि, ओला, पाला शीतलहर, टिड्डी, बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप एवं अग्नि दुर्घटनाओं से फसल की नुकसानी तथा जनहानि और पशु हानि होती है। अग्नि दुर्घटना में कृषक की फसल या मकान के जलने से हानि होती है और व्यक्तियों और पशुओं के जल जाने से जनहानि एवं पशु हानि भी हाती है। कभी–कभी दुकानों में आग लग जाने से छोटे दुकानदारों को बेरोजगार हो जाना पड़ता है। प्राकृतिक प्रकोपों से कई मामलों में कृषक बेघरवार हो जाते है। इन सब परिस्थितियों में शासन का यह दायित्व हो जाता है कि संबंधित पीड़ित को तत्काल अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये, जिससे संबंधित पर आई विपदा का मुकाबला करने के लिये उसमें मनोबल बना रहे और वह अपने परिवार को पुनर्स्थापित कर सके।

2. पूर्व में राज्य शासन द्वारा अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के निर्देश दिये गये हैं तथा मापदण्ड निर्धारित किये हैं, फिर भी विगत वर्षो में आई प्राकृतिकं आपदाओं से हुई व्यापाक हानि के संदर्भ में यह महसूस किया गया कि वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता के मापदण्डों के बारे में पूर्ण रूप से विचार किया जाकर उनमें संशोधन करना आवश्यक है। प्राकृतिक प्रकोपों से कृषक, भूमिहीन व्यक्ति तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जो क्षति होती है, उसके संदर्भ में शासन की ओर से ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि उपयुक्त समय में समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके।

3. शासन की ओर से इस परिपत्र के अन्तर्गत जो आर्थिक सहायता निर्धारित की गई है, उसका उद्देश्य तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, न कि संबंधित को हुई क्षति की पूर्ण प्रतिपूर्ति मुआवजे के रूप में करना, किन्तु यह भी आवश्यक है कि ऐसे मामलों में जिनमें किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण बहुत अधिक लोगों एवं परिवारों को ऐसी हानि हुई है जिससे वे बेघरवार एवं बेरोजगार हो गये हैं, वहॉ पर्याप्त राहत पहुंचाई जाये।

4. जब कभी भी प्राकृतिक प्रकोपों से कोई हानि होती है तब पटवारी पटेल एवं कोटवार जो कि स्थानीय राजस्व कार्यकर्ता है का यह प्रमुख दायित्व होगा कि वे क्षेत्र के राजस्व अधिकारी तथा नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी को इस बात की तत्काल सूचना दें तथा ये अधिकारी मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये जिले के कलेक्टर एवं संभाग के कमिश्नर को आवश्यक रिर्पोट तत्काल दें। इसी के साथ–साथ तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी का यह दायित्व एवं कर्तव्य भी है कि वे जिस क्षेत्र में इस तरह की हानि हुई है, वहॉ मौके पर तत्काल पहुंचे तथा नुकसानी का आंकलन करने के साथ साथ तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिये सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठायें। यदि नुकसानी हुई है तो शासन द्वारा स्वीकृत एवं निर्धारित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की

तत्काल कार्यवाही करें, साथ ही स्थानीय लोगों एवं स्थानीय संस्थाओं से जो जन सहयोग के रूप में सहायता देने को तैयार है, उनके द्वारा दी जाने वाली सहायता को तत्काल पीड़ितों को उपलब्ध करायें।

5. तहसीलदार, तहसील कार्यालय में संलग्न फार्म 3 में एक रजिस्टर रखेंगें जिसमें उनके क्षेत्राधिकार में प्राकृतिक प्रकोपों से हुई हानि और उपलब्ध कराई गई सहायता का पूर्ण विवरण रखा जायेगा।

6. यदि प्राकृतिक प्रकोपों से क्षति केवल किसी कृषक विशेष या व्यक्ति विशेष को ही हुई है तो संबंधित व्यक्ति निर्धारित संलग्न फार्म 2 में आवेदन पत्र तहसीलदार को दे सकेंगें। तहसीलदार आवेदन पत्र के तथ्यों की पूर्ण जॉच कर निर्धारित सहायता की पात्रता सुनिश्चित करेगें। यदि सहायता की राशि तहसीलदार के वित्तीय अधिकार की सीमा मे है तो 10 दिन के भीतर सहायता उपलब्ध करायेंगें अन्यथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी की स्वीकृति हेतु भेजेंगे। यदि सहायता की राशि अनुविभागीय अधिकारी के वित्तीय अधिकार की सीमा से अधिक है तो कलेक्टर /अध्यक्ष जिला योजना समिति/ शासन, की स्वीकृति प्राप्त की जाये। सहायता राशि उपलब्ध कराने में इस बात की पूर्ण सावधानी रखी जाय कि पीड़ितो को सहायता राशि आवेदन पत्र देने के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध हो जाय।

7. जिन मामलों में प्राकृतिक प्रकोप से हुई हानि के कारण पीड़ित को पुनर्स्थापित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है उनमें संबंधित पीड़ित व्यक्ति को संलग्न फार्म 1 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। इस परिपत्र के परिशिष्ट 'एक' के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता तथा ऋण उपलब्ध कराये जा सकेंगें। प्रत्येक मामले में प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार की आर्थिक सहायता अनुदान स्वीकृत करने के वित्तीय अधिकार निम्नानुसार होगें :–

1.	अध्यक्ष जिला योजना समिति	50 हजार रूपये से अधिक
2.	कलेक्टर	50 हजार रूपये तक
3.	अनुविभागीय अधिकारी	10 हजार रूपये तक
4.	तहसीलदार	5 हजार रूपये तक

इसी प्रकार पीड़ित को जिन मामलों में ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये हैं उनमें वित्तीय अधिकार निम्नानुसार होगें :–

1.	अध्यक्ष जिला योजना समिति	50 हजार रूपये से अधिक
2.	कलेक्टर	50 हजार रूपये तक
3.	अनुविभागीय अधिकारी	10 हजार रूपये तक

8. इस परिपत्र के अनुसार "राजस्व अधिकारी" से आशय किसी ऐसे कमिश्नर, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से है जिसका क्षेत्राधिकारी ऐसे क्षेत्र में हो जहॉ प्राकृतिक प्रकोप से क्षति हुई हो।

9. "ऐसे मामले जिनमें पीड़ित व्यक्ति जिसकी झोपड़ी/मकान या पशुशाला नष्ट हो गई है, उसे झोपड़ी/मकान या पशुशाला बनाने के लिये निःशुल्क बांस एवं बल्ली उपलब्ध कराई जायेगी। तहसीलदार निकटतम वन डिपो के रेन्जर को इस आशय की सूचना देंगें कि संबंधित पीड़ित को कितने बांस एवं कितनी बल्लियॉं दी जायें। संबंधित वन डिपो इन्चार्ज का यह कर्तव्य होगा कि वह तत्काल समूचित मात्रा में बांस बल्लियॉं पीड़ित व्यक्ति को प्रदान करें। ऐसे मामलों में अधिकतम मात्रा 50 बांस एवं 30 बल्ली प्रति मकान (पशुशाला सहित) दी जा सकेगी। बांस बल्ली की डिपो से गन्तव्य स्थान तक ढुलाई व्यय की प्रतिपूर्ति पीड़ित व्यक्ति को अलग से की जावेगी जो कि वास्तविक ढुलाई व्यय के अनुसार होगी, किन्तु अधिकतम राशि रूपये 500–00 (रूपये पॉच सौ) से अधिक नहीं होगी।

10. अग्नि दुर्घटनाओं में आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के उपयोग से संबंधित व्ययों की प्रतिपूर्ति मॉग संख्या 58 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय, सूखा शीर्ष 2245– प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत 003– अग्नि पीड़ितों को राहत आयोजनेत्तर से की जायेगी।

11. बाढ़ नियंत्रण के कार्य के लिये सेना की सहायता प्राप्त करने पर परिवहन का जो भी व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित जिले के कलेक्टर मॉग संख्या 58 के मुख्य शीर्ष 2245 से कर सकेगें।

12. इस परिपत्र के अन्तर्गत दी जाने वाली समस्त प्रकार की सहायता अनुदान की राशि मांग संख्या 58 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र में राहत पर व्यय मुख्य शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत की मद में विकलनीय होगी।

13. राजस्व अधिकारियों को प्राकृतिक प्रकोपों से हुई हानि का आंकलन करने एवं पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही में जनप्रतिनिधियों का अधिक से अधिक विश्वास एवं सहयोग प्राप्त करने का प्रयाय करना चाहिये।

14. प्राकृतिक प्रकोपों से हुई हानि के लिये मांग संख्या 58 मुख्य शीर्ष 2245 में यदि आवंटन उपलब्ध न हो तो कलेक्टर शासन से आंवटन प्राप्त होने की प्रत्याशा में पीड़ितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यक राशि उक्त शीर्ष से आहरित करने के आदेश दे सकेंगें तथा शासन को आवंटन उपलब्ध कराने हेतु तत्काल मांग भेजेंगें।

15. इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से पूर्व में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के अन्तर्गत जारी किये गये सभी निर्देश निरस्त माने जायेंगें।

16. यह संभव है कि प्राकृतिक विपत्ति से निपटने के लिये या राहत देने के लिये किसी स्थिति का इस परिपत्र में समावेश न हुआ हो, ऐसा होने पर कलेक्टर तुरन्त शासन से सिफारिश करते हुये योग्य आदेश प्राप्त करेगें।

17. इस परिपत्र के अन्तर्गत देय अनुदान सहायता राशि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित सभी पात्र व्यक्तियों को, चाहे वे राजस्व ग्रामों के निवासी हो या वन ग्रामों के निवासी हो, देय होगी। वन ग्रामों में भी क्षति का सर्वेक्षण एवं अनुदान सहायता राशि के वितरण का दायित्व संबंधित राजस्व अधिकारी का होगा जिसका निर्वहन वह संबंधित वन अधिकारी के सहयोग से करेगा।

––0––